जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय,

ग्राम मदाऊ, पोस्ट भांकरोटा, जयपुर-302026

यू.ओ. नोट

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की 59 वीं बैठक का आयोजन दिनांक **01.12.2017** को दोपहर 12.30 बजे विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन स्थित सभाकक्ष में माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में निम्नानुसार निर्णय लिये गये–

बिन्दु संख्या	बिन्दु	निर्णय
59–1	कार्यपरिषद की 58 वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।	सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।
59–2	विद्यापरिषद की 26 वी बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।	विद्या परिषद की 26 वीं बैठक दिनांक 27. 11.2017 के बिन्दू संख्या 26–1 में डॉ. राजधर मिश्र, सह आचार्य, व्याकरण विभाग एवं श्री सुभाष चन्द शर्मा, सहायक कुलसचिव को समिति में सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया तथा सर्वसम्मति से इसकी पुष्टि की गई। बिन्दू संख्या 26–05, 06, 07, 08 में मंत्र प्रतिष्ठान में पदों को भरने की कार्यवाही अलग से करने का निर्णय लिया गया तथा Good Academic Record के सन्दर्भ में पूर्व में लिये गये निर्णयानुसार औसत 50 प्रतिशत अंक स्नातक और प्रवेशिका/उपाध्याय/वरिष्ठ उपाध्याय या समकक्ष परीक्षा या समकक्ष ग्रेड पॉईट परीक्षा से उत्तीर्ण के स्थान पर 55 प्रतिशत अंक स्नातक और प्रवेशिका/उपाध्याय/वरिष्ठ उपाध्याय या समकक्ष परीक्षा या समकक्ष ग्रेड पॉईट परीक्षा अंकों के साथ उत्तीर्ण होने तथा किसी एक परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होने का परिवर्तन स्वीकार किया गया तथा शेष बिन्दूओं का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
59–3	58 वीं कार्यपरिषद के बिन्दु सं. 58–11 में श्री महेश शर्मा सहा. आचार्य दर्शन विभाग के विरूद्ध प्रशासनिक तौर से प्रमाणित एवं स्थापित अनुशासनहीनता एवं दुराचार के दण्डात्मक कार्यवाही के विचार पर 58वीं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 16.09.2017 के कार्यवाही विवरण में उक्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखने का निर्णय लिया गया था। उक्त संदर्भ में श्री महेश शर्मा द्वारा एक पत्र दिनांक 14. 11.2017 को प्रस्तुत किया गया है, जिसे बैठक में विचारार्थ/ निर्णयार्थ रखा जा रहा है। सहायक कुलसचिव (संस्थापन)	प्रकरण पर विचार किया गया। अग्रिम कार्यपरिषद् में विचारार्थ रखने का निर्णय लिया गया।
59–4	राज्य सरकार से प्राप्त पत्र के पत्र क्रमांक पं.18(26) शिक्षा –6/2016 दिनांक 11.09.2017 के क्रम में राजस्थान	सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

	विश्वविद्यालय जयपुर के तथा यू.जी.सी के सी.ए.एस से संबंधित अद्यतन नियमों को स्वीकार करने का प्रस्ताव विचारार्थ/निर्णयार्थ। सहायक कुलसचिव (संस्थापन)	
59–5	शैक्षणिक शाखा से प्राप्त कार्यालय आदेश क्रमांक 7971–74 दिनांक 09.11.2017 के एवं आदेश क्रमांक 8220–23 दिनांक 22.11.2017 के द्वारा 2017–18 के लिये संस्थाओं/महाविद्यालयों को योग पाठ्यक्रम (PGDYT&YIC) संचालित करने हेतु दी गई सम्बद्धंता की पुष्टि। सहायक कुलसचिव (शैक्षणिक)	सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।
59–6	कार्यालय आदेश क्रमांक : प (155)/जरारासंविवि/संस्था/16/ 6551–52 दिनांक 05.10.2017 के द्वारा विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को सत्र 2016–17 हेतु स्वीकृत बोनस की पुष्टि हेतु। सहायक कुलसचिव (संस्थापन)	सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।
59–7	शैक्षणिक शाखा के द्वारा सम्बन्ध महाविद्यालयों के निरीक्षण के सम्बन्ध में निरीक्षण दल के सदस्यों के द्वारा बिल प्रस्तुत किये गये है उनका भुगतान तथा विश्वविद्यालय के शिक्षको जिन पर धारा 34 का उल्लेख करते हुए लेखा शाखा के द्वारा बिलो का भुगतान नही किया गया उनके भुगतान की स्वीकृति का प्रस्ताव विचारार्थ/निर्णयार्थ। सहायक कुलसचिव (शैक्षणिक)	भुगतान किये जाने का अनुमोदन किया गया।
59–8	यू.ओ.नोट क्रमांक पं. (417)/जरारासंविवि/संस्था/17/8062 दिनांक 15.11. 2017 : राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय को स्वीकृत 9–शैक्षणिक पद एवं राजस्थान मंत्र प्रतिष्ठान के अन्तर्गत स्वीकृत 5–शैक्षणिक पदों को भरने की स्वीकृति, पूर्व में 13 शैक्षणिक पदों हेतु जारी विज्ञापन संख्या 01/2013 एवं इसके तहत प्राप्त आवेदन पत्रों को निरस्त करने एवं आवेदन शुल्क लौटाने तथा राजस्थान मंत्र प्रतिष्ठान के अन्तर्गत 5–शैक्षणिक पदों हेतु जारी विज्ञापन संख्या 01/2012 एवं इसके तहत प्राप्त आवेदनों को निरस्त करने एवं आवेदन शुल्क लौटाने के संबंध में विचारार्थ/निर्णयार्थ। सहायक कुलसचिव (संस्थापन)	सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
59–9	यू.ओ.नोट क्रमांक पं.(8)/जरारासंविवि/संस्था/17/8371 दिनांक 23.11.2017 : राज्य सरकार से प्राप्त पत्र दिनांक 16. 11.2017 में वित्त विभाग द्वारा निम्नानुसार राय/परामर्श दी गई है :–विश्वविद्यालय में राजस्थान हेण्डलूम डवलमेंट कॉर्पोरेशन व राजस्थान जल निगम से समायोजन के माध्यम से वर्ष 2001 में समायोजित 6 कार्मिकों पर विश्वविद्यालय में तत्समय प्रभावी नियमों के अनुसार राज्य सरकार मे प्रभावी नियमों के अनुसार वे राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के अन्तर्गत आते है। दिनांक 01.01.2004 से पूर्व समायोजित/नियुक्त किसी भी कार्मिक को नवीन अंशदायी	प्रकरण पर विस्तृत चर्चा की गई प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिये गये:– 1. वित्त विभाग के परामर्शानुसार 06 कार्मिकों को राज. सिविल सेवा पैंशन नियम 1996 के अन्तर्गत मान लिया जावें, कार्मिक निम्नानुसार है :– 1. श्री सर्वेश कुमार शर्मा 2. श्री सुभाष वर्मा 3. श्री भंवर लाल सैन

	(पेंशन) योजना का सदस्य नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि उक्त योजना दिनांक 01.01.2004 के पश्चात् नियुक्त कार्मिकों पर ही लागू है। अतः विश्वविद्यालय प्रशासन अपने कार्मिकों क्रे संबंध में प्रभावी नियमों के अनुसार अपने स्तर पर सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त निर्णय करावें। प्रकरण विचारार्थ/निर्णयार्थ। सहायक कुलसचिव (संस्थापन)	4. श्री दुलीचन्द वर्मा 5. श्री घनश्याम शर्मा 6. श्री सत्यनारायण शर्मा 2. चूंकि प्रकरण मा. न्यायालय में लम्बित है। अतः पैंशन अंशदान एवं लिगल बिन्दूओं पर विधिक राय प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही की जावें।
59–10	यू.ओ.नोट क्रमांक प(87)/जरारासंविवि/सा.प्र./2017/8386 दिनांक 24.11.2017 द्वारा विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् की 58 वीं बैठक दिनांक 16.09.2017 के कार्यवाही विवरण के बिन्दू संख्या 58–5 में विश्वविद्यालय में आवश्यक कार्यो के सुचारू संचालन के लिए विश्वविद्यालय परिसर में एजेन्सी के माध्यम से कार्यरत संविदा कार्मिक/सुरक्षा कर्मियों के पदों की स्वीकृति राज्य सरकार से प्राप्त कर ली जाने का निर्णय लिया गया है। विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में राज्य सरकार से संविदा कार्मिको को रखे जाने की स्वीकृति नहीं ली थी। आगामी निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने तक प्लेसमेन्ट ऐजेन्सी का अनुबंघ बढाया हुआ है एवं नविन नविदा आंमत्रित की जानी है। अतः विश्वविद्यालय की आकस्मिक आवश्यक व्यवस्थाऐं बनाये रखने हेतु चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/सुरक्षाकर्मी/कनिष्ठ लिपिक कम कम्प्यूटर ऑपरेटर/शिक्षक/ सफाई एवं बागवानी इत्यादि कार्य करवायें जाने हेतु निविदा आंमत्रित करवाये जाने के लिए मा. कुलपति महोदय को विश्वविद्यालय के अधिनियम 1998 की धारा 12 (4) के अन्तर्गत उक्त कार्मिकों की अधिकतम सीमा निर्धारित करते हुए, इनको रखने के लिए कुलपति महोदय को अधिकृत किया जावें, साथ ही कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 16.09.2017 में लियें गये निर्णय 58–5 को निरस्त किया जाना प्रस्तावित है। विचारार्थ एवं निर्णयार्थ । सहायक कुलसचिव (सामान्य प्रशासन)	सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
59–11	सामान्य प्रशासन अनुभाग से प्राप्त यू.ओ.नोट क्रमांक पं. (45)/जरारासंविवि/सा.प्र./17/8445 दिनांक 25.11.2017 : विश्वविद्यालय का तृतीय दीक्षान्त समारोह दिनांक 06.01.2018 को बिडला ऑडिटोरियम में आयोजित किये जाने का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ। सहायक कुलसचिव (सामान्य प्रशासन)	सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
59–12	विश्वविद्यालय में कुलपति चयन के लिए कार्यपरिषद् के द्वारा नोमिनी सदस्य का मनोनयन का प्रस्ताव विचारार्थ एवं निर्णयार्थ। सहायक कुलसचिव (संस्थापन)	अग्रिम कार्यपरिषद् में विचारार्थ रखने का निर्णय लिया गया।
59–13	सामान्य प्रशासन से प्राप्त यू.ओ.नोट क्रमांक प.(87) जरारासंविवि/सा.प्र./17/8449 दिनांक 25.11.2017 : विश्वविद्यालय की 54 वीं कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 29.06.2017 के निर्णय संख्या 54–11 में वान्छित संशोधन हेतु प्रकरण विचारार्थ एवं निर्णयार्थ।	सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।